राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, बुहाना

पीठासीन अधिकारी –

सुमन देवी II, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर – 148 / 2018 जीसीएमएस नम्बर– 2019 / 00971

1. राजेन्द्र प्रसाद पुत्र बृजमोहन उम्र ..... वर्ष
2. भंवरलाल पुत्र स्व. मातुराम उम्र ..... वर्ष
3. बलबीर पुत्र स्व. मातुराम उम्र ...... वर्ष
4. चुंकी पत्नी स्व. मातुराम उम्र .... वर्ष
5. पवन कुमार पुत्र मूलचन्द्र उम्र ..... वर्ष
6. ओमप्रकाश पुत्र मूलचन्द उम्र ..... वर्ष
7. मणी पत्नी मूलचन्द उम्र .... वर्ष
8. रामादेवी पत्नी ओमप्रकाश उम्र ...... वर्ष

जाति समस्त ब्राहमण निवासी बुहाना तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं, राज0

.... वादीगण

ब–ना–म

1. मंजू पत्नी स्व. सुभाष उम्र .... वर्ष
2. अमित पुत्र सुभाष उम्र ..... वर्ष
3. जितिक पुत्र सुभाष उम्र ..... वर्ष

जाति समस्त ब्राहमण निवासी बुहाना तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं, राज0

4. भूमिधारक राज0 सरकार जरिये तहसीलदार, बुहाना।

.........प्रतिवादीगण

मुकदमा नम्बर – 101 / 2019 जीसीएमएस नम्बर– 2019 / 00972

1. मंजू पत्नी स्व. सुभाष उम्र .... वर्ष
2. अमित पुत्र सुभाष उम्र ..... वर्ष
3. जितिक पुत्र सुभाष उम्र ..... वर्ष

जाति समस्त ब्राहमण निवासी बुहाना तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं, राज0

.... वादीगण

क्रमशः

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Devi
Date: 2025.05.19 17:53:19 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुन्झुनूं (राज.)

...Rules (Civil), 129, Appendix 'B' Form. No. 8}

1. ओमप्रकाश पुत्र मूलचन्द उम ..... वर्ष।
2. चुन्नी पत्नी स्व. मातुराम उम .... वर्ष।
3. पवन कुमार पुत्र मूलचन्द उम ..... वर्ष
4. बलबीर पुत्र स्व. मातुराम उम ...... वर्ष
5. भंवरलाल पुत्र स्व. मातुराम उम ..... वर्ष
6. मणी पत्नी मूलचन्द उम .... वर्ष
7. राजेन्द्र प्रसाद पुत्र बृजमोहन उम ..... वर्ष
8. रामादेवी पत्नी ओमप्रकाश उम ...... वर्ष
   जाति समस्त ब्राहमण निवासी बुहाना तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं, राज0
9. भूमिधारक राज0 सरकार जरिये तहसीलदार, बुहाना।

.........प्रतिवादीगण

:: निर्णय ::

दिनांक : 28.04.2025

मुकदमा नम्बर – 148/2018

दावा बाबत – खाता विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा

वादीगण की ओर से वाद पत्र इस आशय का पेश किया गया है कि वाके ग्राम बुहाना स्थित भूमि हाल खाता सं. 1136 के ख.नं. 621 रकबा 0.23 है., ख.नं. 624 रकबा 0.70 है., ख. नं. 627 रकबा 0.96 है., ख.नं. 641 रकबा 0.17 है., ख.नं. 733 रकबा 0.54 है. पक्षकारान की संयुक्त खातेदारी की भूमि है। उपरोक्त वाद वर्णित भूमि में वादी सं. 1 का 1/6 हिस्सा है। वादीगण सं. 2 लगा. 4 का 1/3 हिस्सा है वादी सं. 5 का हिस्सा 0.22 है., वादी सं. 6 का रकबा 0.22 है. हिस्सा है। प्रतिवादी सं. 7 का 0.22 है. हिस्सा, प्रतिवादिया सं. 8 का हिस्सा 0.17 है. है तथा प्रतिवादीगण सं. 1 से का हिस्सा 0.05 है. है तथा प्रतिवादिनी सं. 1 का हिस्सा 1/6 है जो कि उसने श्रवण पत्नी बृजमोहन से जरिये विक्रय पत्र दिनांक 19.09.2017 को क्रय किया है श्रवण देवी ने विक्रय पत्र बहक प्रतिवादिनी करवाते समय सम्पूर्ण भूमि में से अपना 1/6 हिस्सा का बेचान कर दिया है लेकिन मौके पर उक्त विक्रेतानी का हिस्सा केवल मात्र 0.35 1/2 है. ही था तथा प्रतिवादी सं. 1 का उक्त विक्रय पत्र को गलत आधार बनाकर वादी सं. 1 के हिस्से की भूमि पर भी [illegible] तानुसार पक्षकारान अपने–अपने हिस्से की भूमि को आपसी बटवारा बाहमी [illegible] वर्ष पूर्व करके काबिज काश्त है। इस भूमि का खाता शामलाती [illegible] की सीमा कायम करवाने में असक्षम हो रहे हैं तथा प्रतिवादी [illegible] ती में जबरन सीमाओं का उल्लंघन कर रहे हैं तथा इस भूमि का संयुक्त खाता रहने [illegible] वादीगण को सुधार कार्य हेतु

उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुन्झुनूं (राज.)

ऋण आदि लेने में परेशानी हो रही है। इसलिए यह वाद खाता विभाजन पेश करना आवश्यक हुआ है।

अतः वाद पत्र पेश कर निवेदन है कि वाके ग्राम बुहाना स्थित भूमि हाल खाता सं. 1136 के ख.नं. 621 रकबा 0.23 है., ख.नं. 624 रकबा 0.70 है., ख.नं. 627 रकबा 0.96 है., ख. नं. 641 रकबा 0.17 है., ख.नं. 733 रकबा 0.54 है. कुल किता 6 कुल रकबा 2.60 है. भूमि का खाता अलग से किया जाकर लगान अलग से कायम किया जाकर तद्नुसार रिकार्ड राजस्व में अमल दरामद करने की कृपा करें।

मुकदमा नम्बर – 148 / 2018

दावा– खाता विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा

वादीगण के वाद पत्र प्रस्तुत कर अनुतोष चाहा है कि वाके ग्राम बुहाना स्थित भूमि हाल खाता सं. 1136 के ख.नं. 621 रकबा 0.23 है., ख.नं. 624 रकबा 0.70 है., ख.नं. 627 रकबा 0.96 है., ख.नं. 641 रकबा 0.17 है., ख.नं. 733 रकबा 0.54 है. पक्षकारान की संयुक्त खातेदारी की भूमि का खाता विभाजन किया जाकर भूमि का खाता अलग से किया जाकर लगान अलग से कायम किया जाकर तद्नुसार रिकार्ड राजस्व में अमल दरामद करने की कृपा करें।

समान विषय वस्तु, समान पक्षकार, समान अनुतोष को लेकर एक अन्य वाद संख्या 57 / 2023 बउनवानी बलबीर बनाम राजेन्द्र विचाराधीन है। अधिवक्ता दोनो वादों के द्वारा न्यायालय से निवेदन किया कि दोनो वादो को आपस में समेकित किया जाकर दोनो वादो का एक साथ निर्णय किया जावें। उभय पक्षकारो को सुना गया।

अत : दोनो वाद समान विषय वस्तु, समान पक्षकार, के मध्य समान अनुतोष को लेकर है। पत्रावली 148 / 2018 के साथ 101 / 2019 को समेकित की गई है। अतः इस आदेश द्वारा उपर्युक्त दोनों दावो का निर्णय किया जा रहा है। एक–एक प्रति दोनो पत्रावलीयों में रखी जावे। वादीगण, प्रतिवादीगण का आशय 148 / 2018 के अनुसार माना जावे।

वाद पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण की तलबी जारी की गई। प्रतिवादीगण 1 से 3 की ओर से जवाब दावा प्रस्तुत कर वादीगण द्वारा चाहे गय अनुतोष को अस्वीकार कर दावा वादीगण मय हर्जा खर्चा खारिज किये जाने का निवेदन किया है।

वादीगण की ओर से साक्ष्य अभिलेख में नकल जमाबंदी (प्रतिलिपि), जमाबंदी संवत् 2070–73 खाता सं. 1136 ग्राम बुहाना पेश की तथा मौखिक साक्ष्य में बयान पवन कुमार शर्मा (पी.डब्ल्यू.–1), राजेन्द्र प्रसाद (पी.डब्ल्यू.–2) कलमबद्ध करवाये गये।

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Devi
Date: 2025.05.19 17:53:19 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुन्झुनूं (राज.)

बहस विद्वान योग्य अधिवक्ता वादीगण सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध प्रलेखीय दस्तावेजात एवं वाद पत्र के अभिवचनों का ध्यानपूर्वक अवलोकन एवं मनन किया गया। दौरान बहस विद्वान योग्य अधिवक्ता उभय पक्षकारान ने वादग्रस्त भूमि में पक्षकारान के मौका कब्जा काश्त व राजस्व रिकार्ड की स्थिति अनुसार खाता विभाजन किये जाने का निवेदन किया। जमाबंदी संवत् 2070–73 खाता सं. 1136 ग्राम बुहाना में वादीगण के दर्ज हिस्से व मौका कब्जे काश्त अनुसार वाद वादीगण/प्रतिवादीगण स्वीकार कर प्राथमिक डिक्री किया जाना न्यायोचित पाया जाता है।

बहस विद्वान अधिवक्ता वादीगण सुनी गई। प्रतिवादीगण की सम्यक् तामिल हुई। प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 की और से श्री नरपाल सिंह यादव एडवोकेट द्वारा वकालतनामा व इकबालीया जवाब दावा पेश किया व प्राथमिक डिक्री दिनांक 03.07.2023 को की गई। तथा तहसीलदार बुहाना को विभाजन प्रस्ताव हेतु इस कार्यालय के पत्रांक 437 दिनांक 07.08.2023 के द्वारा भिजवाया गया। तहसीलदार बुहाना के पत्रांक 2847 दिनांक 19.09.2023 के द्वारा विभाजन प्रस्ताव प्राप्त हुए शामिल पत्रावली हुए विभाजन प्रस्ताव का अध्ययन किया गया प्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा खाता विभाजन, विभाजन प्रस्ताव अनुसार करने हेतु निवेदन किया । किसी ने ऐतराज पेश नही किया है।

प्रतिवादी सं0 1 लगायत 3 की और से श्री नरपालसिंह यादव एड. द्वारा वकालतनामा पेश कर निवेदन किया की दिनांक 28.04.2025 को विभाजन प्रस्ताव पर आपत्ति पेश की गई है। प्रतिवादी सं0 1 लगायत 3 ने ऐतराज पेश किया जिसमें प्रतिवादीगण का 0.26 है0, पर कब्जा बतलाया है ओर वादी का 0.26 है0, भूमि पर कब्जा बतलाया है। जो सरासर गलत है विभाजन प्रस्ताव कब्जा काश्त अनुसार नही तैयार किये गये है। वकील वादी ने मौखिक बहस पेश कि जिसमें निवेदन किया कि विभाजन प्रस्ताव कब्जे काश्त व हिस्से अनुसार तैयार किये गये है। अतः कब्जे काश्त व हिस्से अनुसार के आधार पर मुताबिज विभाजन प्रस्ताव रिपोर्ट अन्तिम डिक्री करने की कुपा करे।

बहस के अनुसार ,शपथ पत्र , दस्तावेज, सहमति से प्राप्त कुर्रे प्राप्त पर कोई ऐतराज नही किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध प्रलेखीय दस्तावेजात, वादपत्र के अभिवचनों का ध्यान पूर्वक अवलोकन एवं मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध जमाबंदी सवत् 2075–2078 वाके ग्राम बुहाना स्थित भूमि हाल खाता संख्या 1024 में वादीगण के दर्ज हिस्से व मौका कब्जे काश्त अनुसार वाद वादी स्वीकार कर अंतिम डिक्री किया जाना न्यायोचित पाया जाता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Devi
Date: 2025.05.19 17:53:19 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुन्झुनूं (राज.)

राजस्व वाद संख्याः—148 / 2018
राजेन्द्र आदि बनाम मन्जु आदि
राजस्व वाद संख्याः—101 / 2019
मन्जु आदि बनाम ओमप्रकाश आदि
निर्णय दिनांकः— 28.04.2025

आदेश

" न्यायालय वाद वादीगण / प्रतिवादीगण बाबत खाता विभाजन डिक्री किया जाना न्यायोचित पाता है। अतः वाके ग्राम बुहाना तहसील बुहाना स्थित भूमि जमाबन्दी संवत् 2075 लगायत 2078 के खाता सं. 1024 में दर्ज ख.नं. 621 रकबा 0.23 है, ख.नं. 624 रकबा 0.70 है., ख.नं. 627 रकबा 0.96 है., ख.नं. 641 रकबा 0.17 है., ख.नं. 733 रकबा 0.54 है. कुल किता 6 कुल रकबा 2.60 है. में उभय पक्षकारान का खाता एवं लगान विभाजन मुताबिक विभाजन प्रस्ताव प्रदर्श "अ—1 लगायत अ—4" व नक्शा प्रदर्श "ब—1" के वाद को अंतिम डिक्री किया जाना उचित पाता है। अतः मुताबिक तहसीलदार बुहाना से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव प्रदर्श "अ—1 लगायत अ—4" व नक्शा प्रदर्श "ब—1" के अलग—अलग खाता कायम किया जाकर आनुपातिक लगान अलग—अलग कायम किये जाने का आदेश दिया जाता है। विभाजन प्रस्ताव प्रदर्श "अ—1 लगायत अ—4" व नक्शा प्रदर्श "ब—1" इस निर्णय व डिक्री का अभिन्न अंग रहेगा। तहसीलदार बुहाना को रिकॉर्ड में अमल करने हेतु लिखा जावे। रहन यदि कोई हो तो सम्बन्धित खातेदार काश्तकार को प्राप्त होने वाले रकबे / हिस्से / खसरा नम्बर के हिस्से में दर्ज किया जावे। पर्चा डिक्री जारी हो। "

(सुमन देवी II)
उपखण्ड अधिकारी बुहाना
उपखण्ड अधिकारी एवं
जिला झुन्झुनू (राज.)
पदेन सहायक कलेक्टर, बुहाना

उपखण्ड अधिकारी बुहाना, जिला झुन्झुनू (राज.)

निर्णय आज दिनांक 28/4/25 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, बाद मेरे हस्ताक्षर इस न्यायलय के मुद्राकित सरे इजलास सुनाया गया।

(सुमन देवी II)
उपखण्ड अधिकारी बुहाना
उपखण्ड अधिकारी एवं
जिला झुन्झुनू (राज.)
पदेन सहायक कलेक्टर, बुहाना

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Devi
Date: 2025.05.19 17:53:19 IST
Reason: SelfAttested

मूल वाद में अंतिम डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी,बुहाना जिलाझुन्झुनू (राज.)

पीठासीन अधिकारी–

सुमन देवी II, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या : 148/2018 – राजेन्द्र बनाम मंजू आदि
राजस्व वाद संख्या : 101/2019 – मंजू आदि बनाम औमप्रकाश आदि

दावा खाता विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा

वादीगण/प्रतिवादीगण की ओर से श्री रोहित पोषवाल/नरपालसिंह यादव एडवोकेट की उपस्थिति में इस वाद को श्री सुमन देवी II उपखण्ड अधिकारी, बुहाना के समक्ष अंतिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश किया जाता हैं और अंतिम डिक्री दी जाती हैं कि –

" न्यायालय वाद वादीगण/प्रतिवादीगण बाबत खाता विभाजन डिक्री किया जाना न्यायोचित पाता है। अतः वाके ग्राम बुहाना तहसील बुहाना स्थित भूमि जमाबन्दी संवत् 2075 लगायत 2078 के खाता सं. 1024 में दर्ज ख.नं. 621 रकबा 0.23 है., ख.नं. 624 रकबा 0.70 है., ख.नं. 627 रकबा 0.96 है., ख.नं. 641 रकबा 0.17 है., ख.नं. 733 रकबा 0.54 है. कुल किता 6 कुल रकबा 2.60 है. में उभय पक्षकारान का खाता एवं लगान विभाजन मुताबिक विभाजन प्रस्ताव प्रदर्श "अ–1 लगायत अ–4" व नक्शा प्रदर्श "ब–1" के वाद को अंतिम डिक्री किया जाना उचित पाता है। अतः मुताबिक तहसीलदार बुहाना से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव प्रदर्श "अ–1 लगायत अ–4" व नक्शा प्रदर्श "ब–1" के अलग–अलग खाता कायम किया जाकर आनुपातिक लगान अलग–अलग कायम किये जाने का आदेश दिया जाता है। विभाजन प्रस्ताव प्रदर्श "अ–1 लगायत अ–4" व नक्शा प्रदर्श "ब–1" इस निर्णय व डिक्री का अभिन्न अंग रहेगा। तहसीलदार बुहाना को रिकॉर्ड में अमल करने हेतु लिखा जावे। रहन यदि कोई हो तो सम्बन्धित खातेदार काश्तकार को प्राप्त होने वाले रकबे/हिस्से/खसरा नम्बर के हिस्से में दर्ज किया जावे। पर्चा डिक्री जारी हो। "

यह आज तारीख 28/4/25 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

Signature Not Verified

Digitally signed by Suman Devi
Date: 2025.05.19 17:53:10 IST
Reason: SelfAttested

(सुमन देवी II)
उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुन्झुनूं (राज.)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, बुहाना